

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/92/2016

दर्ज दिनांक:-23.06.2016

1. बाबूलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. गोपाल

पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

दिनेश शर्मा

दीपक शर्मा

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-05.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट उंदरा पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2069-2072 पर अंकित सहखातेदारों व दावा के पक्षकारों के नामों में मिलता है। चन्द्रभान की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान का नाम इस जमाबंदी में अंकित नहीं है। मृतक चन्द्रभान के वारिसान को अपने नोशनल शेयर पर खातेदारी घोषणा के अधिकारों के लिए धारा 88 आरटीए एक्ट का अनुतोष इस प्रकरण में नहीं लिया गया है। दावा मात्र धारा 53-188 आरटीए एक्ट का है। पक्षकार जब जमाबंदी में अभिलिखित खातेदार नहीं है तो उनके मध्य आराजी का विधिवत विभाजन किस प्रकार सम्भव है। दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि:-

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

